न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 66/2018 अपील

1. श्रीमती कानी देवी पुत्री श्री देवा पत्नि श्री भैरू लाल नायक निवासी– इन्द्रपुरा तहसील बदनोर हाल बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज0)
2. श्रीमती कल्लु देवी पुत्री श्री देवा पत्नि श्री रतन लाल नायक निवासी– इन्द्रपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा (राज0) हाल सिंहपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

बनाम

1. किरण पुत्री श्री विष्णु नायक नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रूकमणी पत्नी श्री विष्णु नायक निवासी– इन्द्रपुरा तहसील बदनोर
2. पूजा पुत्री श्री विष्णु नायक नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रूकमणी पत्नी श्री विष्णु नायक निवासी – इन्द्रपुरा
3. श्रीमती रूकमणी पत्नी श्री विष्णु नायक निवासी– इन्द्रपुरा तहसील बदनोर
4. श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री देवा पत्नी श्री भैरू लाल नायक निवासी– इन्द्रपुरा हाल कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।
5. ग्राम सेवा सहकारी समिति, जगपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा जरिये व्यवस्थापक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

– प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 17 निर्णय दिनांक 15.10.2001 द्वारा नायब तहसीलदार आसीन्द

उपस्थित –

1. श्री दूधाराम कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षी सं. 01 से लगायत 05 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही
3. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी सं. 06 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06/5.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार आसीन्द के नामान्तरकरण सं. 17 निर्णय दिनांक 15.10.2001 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 से 04 चार की पुश्तैनी जायदाद ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का जगपुरा तहसील आसीन्द हाल तहसील बदनोर जिला भीलवाडा में जो अपीलार्थीगण के पिता देवा पुत्र श्री बख्तावर नायक के नाम पर खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी नम्बर 2,3,4,5,6,7,8 कुल किता 07 रकबा 1.93 हैक्टयर दर्ज चली आ रही थी। परन्तु देवा की मृत्यु के बाद विरासत का जो विवादित नामान्तरणकरण खोला गया, जिसमे अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 04 चार को देवा की पुत्रीयां होने के बावजूद अकेले देवा के लडके विष्णु को ही वारिस बताकर तथाकथित नामान्तरणकरण खोल दिया, जबकि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 04 चार देवा की प्रथम श्रेणी की वारीस होने के बावजूद भी भू अभिलेख निरीक्षक ने कोई जांच व तहकीकात नही की और विवादित नामान्तरणकरण पर रिपोर्ट कर दी, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार, आसीन्द द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया

गया है। वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 04 चार का 3/4 हक व हिस्सा तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 का 1/4 हक हिस्सा आता है तथा उसी अनुसार मोके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु देवा के नाम पर दर्ज सम्पूर्ण भूमि विरासतनीय नामान्तरणकरण देवा के लड़के विष्णु के अकेले के नाम पर खोल दिया व विष्णु की मृत्यु दिनांक 10/04/2018 को हो जाने से उक्त सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरणकरण विष्णु के वारीस प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 के नाम पर खोल दिया, जबकि देवा की विरासत के अनुसार उक्त भूमि में विष्णु का 1/4 हक हिस्सा आता है और अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी सख्या 04 चार का 3/4 हक हिस्सा आता है, इस आधार पर विवादित नामान्तरणकरण अपीलार्थीगण के हक हिस्से के मुकाबले अवैध व शून्य होकर निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की जानकारी करायी व दिनांक 15.05.2018 को नकले प्राप्त हुई, जिससे यह अपील मिलने जानकारी एवं मिलने नकल निर्णय के यह अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार आसीन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 17 दिनांक 15.10.2001 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 के साथ साथ अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 04 चार का नाम जोडा जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.06.2019 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम अपील के साथ मय शपथ पत्र पेश किया।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 से 04 चार की पुश्तैनी जायदाद ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का जगपुरा तहसील आसीन्द हाल तहसील बदनोर जिला भीलवाडा में जो अपीलार्थीगण के पिता देवा पुत्र श्री बख्तावर नायक के नाम पर खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी नम्बर 2,3,4,5,6,7,8 कुल किता 07 रकबा 1.93 हैक्टयर दर्ज चली आ रही थी। परन्तु देवा की मृत्यु के बाद विरासत का जो विवादित नामान्तरणकरण खोला गया, जिसमे अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 04 चार को देवा की पुत्रीयां होने के बावजूद अकेले देवा के लडके विष्णु को ही वारिस बताकर तथाकथित नामान्तरणकरण खोल दिया, जबकि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 04 चार देवा की प्रथम श्रेणी की वारीस होने के बावजूद भी भू अभिलेख निरीक्षक ने कोई जांच व तहकीकात नही की और विवादित नामान्तरणकरण पर रिपोर्ट कर दी, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार, आसीन्द द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 04 चार का 3/4 हक व हिस्सा तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 का 1/4 हक हिस्सा आता है तथा उसी अनुसार मोके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु देवा के नाम पर दर्ज सम्पूर्ण भूमि विरासतनीय नामान्तरणकरण देवा के लड़के विष्णु के अकेले के नाम पर खोल दिया व विष्णु की मृत्यु दिनांक 10/04/2018 को हो जाने से उक्त सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरणकरण विष्णु के वारीस प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 के नाम पर खोल दिया, जबकि देवा की विरासत के अनुसार उक्त भूमि में विष्णु का 1/4 हक हिस्सा आता है और

अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी सख्या 04 चार का 3/4 हक हिस्सा आता है, इस आधार पर विवादित नामान्तरणकरण अपीलार्थीगण के हक हिस्से के मुकाबले अवैध व शून्य होकर निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की जानकारी करायी व दिनांक 15.05.2018 को नकले प्राप्त हुई, जिससे यह अपील मिलने जानकारी एवं मिलने नकल निर्णय के यह अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार आसीन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 17 दिनांक 15.10.2001 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 के साथ साथ अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 04 चार का नाम जोडा जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम इन्द्रपुरा तहसील आसीन्द में खातेदार देवा पिता बख्तावर नायक के फोत होने से विरासतन विष्णु पिता देवा नायक सा. देह के नाम पटवारी रिपोर्ट सजरा एवं जांच भू. अभिलेख निरीक्षक अनुसार नायब तहसीलदार आसीन्द द्वारा नामान्तरकरण सं. 17 द्वारा दिनांक 15.10.2001 को स्वीकृत किया गया जो विधि सम्मत हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज करायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम इन्द्रपुरा तहसील आसीन्द की आराजी सं. 2,3,4,5,6,7,8 किता 07 रकबा 1.93 हैक्ट. में खातेदार देवा पिता बख्तावर नायक के फोत होने से विरासतन विष्णु पिता देवा नायक सा. देह के नाम पटवारी रिपोर्ट सजरा एवं जांच भू. अभिलेख निरीक्षक अनुसार नायब तहसीलदार आसीन्द द्वारा नामान्तरकरण सं. 17 द्वारा दिनांक 15.10.2001 को स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम इन्द्रपुरा के नामान्तरकरण संख्या 17 में अंकित भूमि के अपीलार्थी की पैतृक होने के आधार पर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजियात के पैतृक होने के संबंध में जमाबन्दी भी प्रस्तुत नहीं की हैं। पैतृक सम्पति के हक व अधिकार के संबंध में उभय पक्षकारान् से साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना होता हैं। इसके लिये अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दाद हासिल करना चाहिये। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती हैं एवं म्यूटेशन अपील Summary Proceeding हैं, जिसके माध्यम से हक व अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार आसीन्द के नामान्तरकरण सं. 17 निर्णय दिनांक 15.10.2001 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06-12-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.06 16:39:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: